

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 116]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 मार्च 2022—फाल्गुन 23, शक 1943

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2022

क्र. 09-एफ-1-16-2021-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 308-क के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 187-क, के साथ पठित धारा 355 तथा 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुज्ञा के बिना भवनों के संनिर्माण के अपराधों का प्रशमन, शुल्क एवं शर्तें) नियम, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, धारा 5 में, चौथे परंतुक में, अंक तथा शब्द "28 फरवरी 2022" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "30 जून 2022" स्थापित किया जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण राठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2022

क्र. एफ-1-16-2021-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 09-एफ-1-16-2021-अठारह-3, दिनांक 14 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण राठी, उपसचिव.

Bhopal, the 14th March 2022

Noti. No. 09-F-1-16-2021-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 308-A read with Sections 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 187-A read with Section 355 and 356 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Municipal (Compounding of offence of Construction of Buildings, Fees and Conditions) Rules, 2016, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 5, in the fourth proviso, for the figures and word “28th February, 2022”, the figures and word “30th June, 2022” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
TARUN RATHI, Dy. Secy.